संख्या-63 /2020/3598/71-2-2020-सी0एम0यू0-20/12

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के महिला छात्रावास निर्माण के कार्य हेतु गठित प्रायोजना के सापेक्ष अवशेष 05.00 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5923/योजना अनु0/2020, दिनांक 17-09-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के महिला छात्रावास निर्माण की प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 96.45 लाख (अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-180/71-2-2013-सी0एम0यू0-20/2012, दिनांक 22.01.2013 द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के अन्तर्गत महिला छात्रावास निर्माण हेतु रू0 1928.92 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रू0 385.78 लाख अवमुक्त की गयी थी। प्रश्नगत कार्य हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से 05.00 प्रतिशत धनराशि रू0 96.45 लाख रोकते हुये कुल रू0 1832.47 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के अन्तर्गत महिला छात्रावास निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 1928.92 लाख के सापेक्ष अवशेष 05.00 प्रतिशत धनराशि रू0 96.45 लाख (छियानवे लाख पैंतालिस हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 80.40 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 16.05 लाख) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-04-2020 एवं दिनांक 11-04-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।
3) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
4) अवमुक्त धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियन्त्रक का यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07-04-2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियन्त्रक का होगा।

7) प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं अन्य विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 कार्य की गुणवत्ता से स्वयं संतुष्ट हो लेगे।

8) इस संबंध में अन्य सुसंगत प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- उपर्युक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का वहन निम्नानुसार किया जायेगा :-

(i) रू0 80.40 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(ii) रू0 16.05 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-924/दस-2020, दिनांक 23.10.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-63/2020/3598/71-2-20-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in